

प्रेषक,

पी० गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|---|---|
| <p>1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।</p> <p>3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।</p> | <p>2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।</p> <p>4. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।</p> |
|---|---|

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 15 अप्रैल, 2025

विषय:- प्रदेश में कार्यशील हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2005 एवं 2014 तथा उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत अथवा संचालित अन्य आवासीय परियोजनाओं के अन्तर्गत विकसित एवं अध्यासित क्षेत्र में स्थानीय निकायों द्वारा अपने अधिनियम में निहित प्राविधानों के अनुसार सम्पत्ति कर (गृह कर, जल कर इत्यादि) का अधिरोपण किये जाने संबंधी।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु निर्गत हाईटेक टाउनशिप नीति, 2003 (यथा संशोधित 2007) के अन्तर्गत चयनित प्रदेश के विभिन्न शहरों यथा गाजियाबाद, मथुरा, बुलन्दशहर, लखनऊ एवं प्रयागराज में वर्तमान में कुल 07 हाईटेक टाउनशिप परियोजनाएं वर्तमान में कार्यशील हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए निर्गत इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2005 एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2014 के अन्तर्गत विभिन्न नगरों में कुल 40 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु संबंधित अभिकरणों द्वारा लाईसेन्स जारी किये गये हैं। निजी पूंजी निवेश के माध्यम से टाउनशिप के विकास के लिए उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 वर्तमान में लागू है।

2- हाईटेक टाउनशिप नीति, 2007 के प्रस्तर-38 में की गयी व्यवस्था के अनुसार टाउनशिप का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक स्थानीय निकाय द्वारा हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत गृहकर, जलकर, सीवरेज कर आदि की वसूली नहीं की जायेगी।

3- नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-3(2) में व्यवस्था है कि संविधान के अनुच्छेद 243 य के खण्ड (2) के अधीन किसी पञ्चातंत्र की अधिसूचना द्वारा राज्यपाल किसी क्षेत्र को नगर में सम्मिलित करें, वहाँ ऐसे क्षेत्र पर इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन बनाई गई या जारी की गयी और ऐसे क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के ठीक पूर्व नगर में प्रवृत्त अधिसूचनायें नियम, विनियम, उपविधियों, आदेश और निर्देश लागू हो जायेंगे और इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित समस्त कर, फीस और प्रभार उपर्युक्त क्षेत्र में लगाये और वसूल किये जायेंगे और किये जाते रहेंगे। अधिनियम की धारा 177 के अनुसार कतिपय भवनों/भूमियों को छोड़कर नगर में स्थित सभी भवनों और भूमियों पर सामान्य कर लगाया जायेगा। अधिनियम के उक्त प्राविधानों के दृष्टिगत स्थानीय निकाय की सीमा में सम्मिलित किये गये क्षेत्रों में स्थित हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं में गृहकर सम्पत्ति कर आदि का अधिरोपण किये जाने के लिए हाईटेक टाउनशिप नीति, 2007 के प्रस्तर-38 की व्यवस्था को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया।

4- उक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्यशील हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं तथा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 तथा उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023

के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत अथवा संचालित अन्य आवासीय परियोजनाओं के अन्तर्गत विकसित एवं अध्यासित क्षेत्र में स्थानीय निकाय द्वारा अपने अधिनियम में निहित प्राविधानों के अनुसार सम्पत्ति कर (गृह कर, जल कर इत्यादि) का अधिरोपण किये जाने हेतु परिणामी प्रभाव से उक्त नीतियों के संगत प्राविधानों को तत्सीमा तक संशोधित करते हुए निम्नलिखित बिन्दु (1) एवं (2) में उल्लिखित व्यवस्था को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) "कार्यशील हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2005 एवं 2014 तथा उ०प्र० टाउनशिप नीति-2023 के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत अथवा संचालित अन्य आवासीय परियोजनाओं के अन्तर्गत टाउनशिप के विकास के संबंध में प्रथम बार निर्धारित अवधि के उपरान्त टाउनशिप के विकसित एवं अध्यासित क्षेत्र में स्थानीय निकाय, अधिनियम में निहित प्राविधानों के अनुसार सम्पत्ति कर (गृहकर, जलकर, इत्यादि) का अधिरोपण करेंगे। ऐसे विकसित एवं अध्यासित क्षेत्र में स्थानीय निकाय द्वारा अपने अधिनियम के अधीन सम्पत्ति कर (गृहकर, जलकर, इत्यादि) अधिरोपित किये जाने की दशा में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के अनुरक्षण का दायित्व इस शर्त के अधीन संबंधित स्थानीय निकाय का होगा कि विकासकर्ता द्वारा यदि स्वीकृत डी.पी.आर./विकास अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार किसी अवस्थापना सुविधा का विकास पूर्ण नहीं किया गया है, तो उसे विकासकर्ता द्वारा ऐसी अवधि, जो कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी, में पूर्ण कराना होगा अन्यथा डी.पी.आर./विकास अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार संबंधित विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह विकासकर्ता की प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखी हुई भूमि का विक्रय कर उससे प्राप्त धनराशि से टाउनशिप के अवशेष विकास कार्य पूर्ण कराये।

ऐसे विकसित एवं अध्यासित क्षेत्र, जहां स्थानीय निकाय द्वारा सम्पत्ति कर का अधिरोपण नहीं किया गया है, में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण विकासकर्ता कम्पनी/कन्सोर्शियम द्वारा स्वयं किया जायेगा, जिस हेतु उसे उक्त क्षेत्र के अध्यासियों से रख-रखाव व्यय वसूल करने का अधिकार होगा।"

(2) हाईटेक टाउनशिप नीति, 2003 एवं 2007 तथा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2005 एवं 2014 के अधीन विकसित की जा रही टाउनशिप की सेवाओं के अनुरक्षण/रख रखाव हेतु उक्त नीतियों से संबंधित शासनादेशों के प्राविधानों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	नीति	शासनादेश	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
1.	हाई-टेक टाउनशिप नीति, 2003	संख्या-6087/9-आ-1-2003-34वि/03, दिनांक 22.11.2003	"प्रस्तर (14): स्थानीय निकाय को सेवाओं का हस्तान्तरण होने तक उनका रख-रखाव विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वयं किया जाएगा जिसके लिए विकासकर्ता कम्पनी को रख-रखाव शुल्क वसूल करने का अधिकार होगा। टाउनशिप का जब तक स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण नहीं हो जाता है, तब तक स्थानीय निकाय द्वारा टाउनशिप के अन्तर्गत गृहकर, जलकर, सीवरेज कर, आदि की वसूली नहीं की जाएगी।"	परियोजना में विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विकासकर्ता द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरण /उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद (जैसा लागू हो) से नियमानुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विकसित अवस्थापना सुविधायें यथा; सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, कूड़ा-निस्तारण, संचार व्यवस्था, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, पार्क एवं खुले स्थल, आदि प्राधिकरण/उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार रख-रखाव हेतु सम्बन्धित स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी।
		संख्या-5666/आठ-1-05-34 विविध/03, दिनांक 25.11.2005	"प्रस्तर (10): विकसित टाउनशिप का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उसका रख-रखाव विकासकर्ता कम्पनी द्वारा किया जायेगा एवं इस हेतु उसे आवंटियों से रख-रखाव शुल्क वसूल करने का अधिकार होगा। परन्तु टाउनशिप के अध्यासियों द्वारा अन्यथा विकल्प दिए जाने की स्थिति में सार्वजनिक सेवाओं के अनुरक्षण हेत स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित किये जाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।"	टाउनशिप का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उसका रख-रखाव विकासकर्ता

2.	हार्ड-टेक टाउनशिप नीति, 2007	संख्या-3872/आठ- 1-07-34 विविध/03, दिनांक 17.09.2007	“प्रस्तर-38 विकसित हार्ड-टेक टाउनशिप का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उसका रख-रखाव विकासकर्ता कम्पनी/ कन्सोर्शियम द्वारा स्वयं किया जाएगा, जिसके लिए विकासकर्ता कम्पनी/कन्सोर्शियम को आवंटियों से रख-रखाव व्यय वसूल करने का अधिकार होगा। विकासकर्ता कम्पनी/कन्सोर्शियम द्वारा भूखण्डों/भवनों की बुकिंग/आवंटन के समय यह स्पष्ट करना अनिवार्य होगा कि रख-रखाव व्यय किन-किन सेवाओं के लिए लिया जाएगा एवं उसकी वार्षिक/एकमुश्त धनराशि क्या होगी। इस सम्बन्ध में विकासकर्ता/कन्सोर्शियम द्वारा डी.पी.आर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) में भी तदनुसार स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। टाउनशिप का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक स्थानीय निकाय द्वारा हार्ड-टेक टाउनशिप के अन्तर्गत गृहकर, जलकर, सीवरेज कर, आदि की वसूली नहीं की जाएगी।”	कम्पनी/कन्सोर्शियम द्वारा स्वयं किया जाएगा, जिसके लिए विकासकर्ता कम्पनी/ कन्सोर्शियम को आवंटियों से रख-रखाव व्यय वसूल करने का अधिकार होगा। विकासकर्ता कम्पनी/ कन्सोर्शियम द्वारा भूखण्डों/भवनों की बुकिंग/आवंटन के समय यह स्पष्ट करना अनिवार्य होगा कि रख-रखाव व्यय किन-किन सेवाओं के लिए लिया जाएगा एवं उसकी वार्षिक/एकमुश्त धनराशि क्या होगी। इस सम्बन्ध में विकासकर्ता/ कन्सोर्शियम द्वारा डी.पी.आर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) में भी तदनुसार स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा तथा उक्त रख-रखाव हेतु विकासकर्ता एवं विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद के मध्य ‘ज्वाइन्ट वेन्चर’ अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा। रख-रखाव हेतु वसूल की जाने वाली धनराशि एक ‘एस्क्रो एकाउन्ट’ में जमा की जाएगी। टाउनशिप की सेवाओं यथा-सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, कूड़ा-निस्तारण, संचार व्यवस्था, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, पार्क एवं खुले स्थल, आदि के रख-रखाव से सम्बन्धित कार्य विकासकर्ता द्वारा कराए जाएंगे तथा उक्त कार्यों का पर्यवेक्षण ‘ज्वाइन्ट वेन्चर’ द्वारा किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि रख-रखाव हेतु वसूल की गई धनराशि अनुमन्य कार्यों पर ही व्यय की जाए। सम्बन्धित स्थानीय निकाय टाउनशिप की सेवाओं के रख-रखाव के हस्तान्तरण के पूर्व मापदण्डों के अनुरूप सामान्य सेवाओं को ठीक कराएंगे तथा हस्तान्तरण के समय ‘एस्क्रो एकाउन्ट’ में जमा धनराशि सहित स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित किया जाएगा।
		संख्या-4916/आठ- 1-07-34 विविध/03, दिनांक 27.08.2008	“विकसित टाउनशिप/योजना का समुचित रूप से एवं सतत आधार पर रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता तथा सम्बन्धित शासकीय अधिकरण के मध्य ‘ज्वाइन्ट वेन्चर’ हेतु अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा। आवंटियों से वसूल की जाने वाली एकमुश्त अनुरक्षण की धनराशि तथा वार्षिक यूजर चार्ज ‘एस्क्रो एकाउन्ट’ में जमा किए जाएंगे। टाउनशिप की सेवाओं के रख-रखाव से सम्बन्धित कार्य विकासकर्ता द्वारा क्रियान्वित किए जाएंगे तथा ‘ज्वाइन्ट वेन्चर’ द्वारा उक्त कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि रख-रखाव हेतु एकत्रित धनराशि अनुमन्य कार्यों पर ही व्यय की जाए। यह प्राविधान ‘डेवल्पमेन्ट एग्रीमेन्ट’ में भी सम्मिलित किए जाएंगे।”	इसके अतिरिक्त टाउनशिप के अन्तर्गत निर्मित अपार्टमेन्ट्स/ग्रुप हाउसिंग भवनों के रख-रखाव हेतु जब तक अपार्टमेन्ट ऑनर्स एसोसिएशन/रेजीडेंट वेलफेयर
3.	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2005	संख्या- 2711/ आठ- 1- 05-34 विविध/ 2003, दिनांक 21.05.2005	“प्रस्तर (18): विकसित योजना की सेवाओं का स्थानीय निकायों को हस्तान्तरण होने तक उनका रख-रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए विकासकर्ता को आवंटियों से यथोचित रख-रखाव व्यय लेने का अधिकार होगा।”	
		संख्या- 1859/ आठ- 1-07-33 विविध, दिनांक 27.8.2008	“प्रस्तर (9): विकसित टाउनशिप/योजना का समुचित रूप से एवं सतत आधार पर रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता तथा सम्बन्धित शासकीय अधिकरण के मध्य ‘ज्वाइन्ट वेन्चर’ अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा। आवंटियों से वसूल की जाने वाली एकमुश्त अनुरक्षण की	

			धनराशि तथा वार्षिक यूजर चार्ज 'एस्क्रो एकाउन्ट' में जमा किए जाएंगे। टाउनशिप की सेवाओं के रख-रखाव से सम्बन्धित कार्य विकासकर्ता द्वारा कियान्वित किए जाएंगे तथा 'ज्वाइन्ट वेन्चर' द्वारा उक्त कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि रख-रखाव हेतु एकत्रित धनराशि अनुमन्य कार्यों पर ही व्यय की जाए। यह प्राविधान 'डेवलपमेंट एग्रीमेंट' में भी सम्मिलित किए जाएंगे।"	एसोसिएशन नहीं बनता है, तब तक प्रचलित अपार्टमेंट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ऐसे भवनों में कॉमन सुविधाओं का रख-रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए अलग 'एस्क्रो एकाउन्ट' की व्यवस्था की जायेगी।"
4.	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2014	संख्या- 520/ आठ-3-14-37 विविध/13, दिनांक 04.3.2014	"प्रस्तर-14.10: विकसित टाउनशिप की सेवाओं का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उनके रख-रखाव हेतु विकासकर्ता एवं विकास प्राधिकरण/आवास परिषद के मध्य अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित होगा की रख-रखाव की धनराशि कितनी होगी और उसके स्रोत क्या होंगे। रख-रखाव हेतु वसूल की जाने वाली धनराशि एक 'एस्क्रो एकाउन्ट' में जमा की जाएगी। टाउनशिप की सेवाओं यथा-सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, कूड़ा-निस्तारण, संचार व्यवस्था, रेनवाटर हार्वैस्टिंग, पार्क एवं खुले स्थल, आदि के रख-रखाव से सम्बन्धित कार्य विकासकर्ता द्वारा कराए जाएंगे तथा उक्त कार्यों का पर्यवेक्षण प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि रख-रखाव हेतु वसूल की गई धनराशि अनुमन्य कार्यों पर ही व्यय की जाए। विकसित टाउनशिप का स्थानीय निकाय को रख-रखाव के लिए हस्तान्तरण होने तक उ.प्र. नगर महापालिका अधिनियम-1959 की धारा-221 के अधीन गृह कर एवं जल कर में छूट अनुमन्य होगी। सम्बन्धित स्थानीय निकाय टाउनशिप की सेवाओं के रख-रखाव के हस्तान्तरण के पूर्व मापदण्डों के अनुरूप सामान्य सेवाओं को ठीक कराएंगे तथा हस्तान्तरण के समय 'एस्क्रो एकाउन्ट' में जमा धनराशि सहित स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त टाउनशिप के अन्तर्गत निर्मित अपार्टमेंट्स/ग्रुप हाउसिंग भवनों के रख-रखाव हेतु जब तक अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनता है, तब तक प्रचलित अपार्टमेंट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ऐसे भवनों में कॉमन सुविधाओं का रख-रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए अलग 'एस्क्रो एकाउन्ट' की व्यवस्था की जायेगी।"	परन्तु टाउनशिप नीति के अन्तर्गत टाउनशिप के विकास के संबंध में प्रथम बार निर्धारित अवधि के उपरान्त यदि टाउनशिप में विकास कार्य पूर्ण नहीं होते हैं अथवा टाउनशिप का हस्तान्तरण स्थानीय निकाय को नहीं होता है, तो टाउनशिप के विकसित एवं अध्यासित क्षेत्र में स्थानीय निकाय अपने अधिनियम में निहित प्राविधानों के अनुसार सम्पत्ति कर (गृहकर, जलकर, इत्यादि) का अधिरोपण करेंगे। ऐसे विकसित एवं अध्यासित क्षेत्र में स्थानीय निकाय द्वारा अपने अधिनियम के अधीन सम्पत्ति कर (गृहकर, जलकर, इत्यादि) अधिरोपित किये जाने की दशा में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के अनुरक्षण का दायित्व इस शर्त के अधीन संबंधित स्थानीय निकाय का होगा कि विकासकर्ता द्वारा यदि स्वीकृत डी.पी.आर./विकास अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार किसी अवस्थापना सुविधा का विकास पूर्ण नहीं किया गया है, तो उसका आकलन सम्बन्धित प्राधिकरण/उ०प्र० आवास विकास परिषद एवं सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा करते हुए अपूर्ण विकास कार्यों को सूचीबद्ध किया जायेगा तथा इन विकास कार्यों को विकासकर्ता द्वारा ऐसी अवधि, जो कि प्राधिकरण/उ०प्र० आवास विकास परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी, में पूर्ण कराना होगा अन्यथा डी.पी.आर./विकास अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार संबंधित विकास प्राधिकरण/उ०प्र० आवास विकास परिषद को यह अधिकार

				होगा कि वह विकासकर्ता की प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखी हुई भूमि का विक्रय कर उससे प्राप्त धनराशि से टाउनशिप के अवशेष विकास कार्य पूर्ण कराये। ऐसे क्षेत्रों में विकासकर्ता द्वारा रख-रखाव हेतु कोई धनराशि नहीं वसूली जायेगी।
--	--	--	--	--

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त प्रस्तर-4 के बिन्दु-(1) एवं बिन्दु-(2) पर लिये गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी० गुरूप्रसाद)
प्रमुख सचिव

संख्या-304(1)/2025/8-3099/249/2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव